उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग- 1
संख्या-14/2015/700/22-1-2015-124/99
लखनऊ दिनांक 08 मई 2015

कार्यालय-ज्ञाप

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के वेतन बैण्ड-।। रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0 4600/- में कार्यरत निम्नलिखित उप कारापालों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कारापाल के पद पर वेतन वैण्ड ।। रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0 4800/- में प्रोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	नाम
1	श्री गिरिजा शंकर यादव
2	श्री दल सिंगार यादव
3	श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी
4	श्री आदित्य कुमार
5	श्री सत्य प्रकाश
6	श्री राजेश कुमार पाण्डेय-।
7	श्री धीरज कुमार
8	श्री पंकज कुमार सिंह
9	श्री महा प्रकाश सिंह
10	श्री रंजीत कुमार सिंह
11	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव
12	श्री शिव मूरत सिंह
13	श्री विजय कुमार राय
14	श्री जगदम्बा प्रसाद
15	श्री पवन कुमार त्रिवेदी
16	श्री राजीव कुमार मिश्र
17	श्री अरूण कुमार मिश्रा
18	श्री जय प्रकाश द्विवेदी
19	श्री मत्युन्जय कुमार पाण्डेय
20	श्री ब्रज किशोर कुमार गौतम
21	श्री राजेश कुमार सिंह
22	श्री राजीव कुमार सिंह-।।

3- श्री गिरिजा शंकर यादव की कारापाल के पद पर पदोन्नति का आदेश मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-12686/2006 गिरिजा शंकर यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

एस0के0 रघुवंशी
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-14/2015/700(1)/22-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।

3- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

4- अपर महानिरीक्षक (प्रशासन) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

5- वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

6- संबंधित अधिकारीगण, द्वारा कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

7- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(करूणेश कुमार सिंह)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।